

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 09-12-2025

विषय सूची

- » वंदे मातरम के 150 वर्ष
- » लोकसभा में दसवीं अनुसूची में संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत
- » इंडिगो संकट: अनिवार्य रिसोर्स मैपिंग और DGCA में परिवर्तन
- » वर्तमान परिदृश्य में न्यूरोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता
- » चिली से भारत के कोयला संकट की सीख

संक्षिप्त समाचार

- » किसामा गांव में हॉर्नबिल महोत्सव
- » सेरेंडिपिटी कला महोत्सव
- » संसद द्वारा तंबाकू शुल्क बढ़ाने हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित
- » थाईलैंड-कंबोडिया संघर्ष
- » IMF ने UPI को विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना।
- » एक्स पर EU का जुर्माना
- » अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायन्स (IBCA)

वंदे मातरम् के 150 वर्ष

संदर्भ

- भारत अपने राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है।

वंदे मातरम् के बारे में

- वंदे मातरम् संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किया गया था और सर्वप्रथम 1882 में उपन्यास *आनंदमठ* में प्रकाशित हुआ।
 - यह उपन्यास 1769-73 के बंगाल अकाल और संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें औपनिवेशिक विरोधी भावना एवं प्रारंभिक राष्ट्रवादी चेतना का उदय परिलक्षित होता है।
- 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से गाया, जिससे इसे राष्ट्रीय पहचान मिली।
- यह गीत मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के रूप में प्रस्तुत करता है तथा भारत की जागृत होती राष्ट्रीय चेतना को काव्यात्मक स्वर प्रदान करता है।

राष्ट्रीय चेतना का उदय

- 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् नागरिक प्रतिरोध का गान बनकर उभरा।
 - 7 अगस्त 1905 को सर्वप्रथम वंदे मातरम् राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग हुआ।
- अनेक युवा क्रांतिकारियों के लिए फांसी से पूर्व वंदे मातरम् अंतिम उद्धोष बन गया, जिससे यह गीत बलिदान का प्रतीक बन गया।
- 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने स्टुटगार्ट, बर्लिन में सर्वप्रथम भारत के बाहर तिरंगा फहराया, जिस पर वंदे मातरम् अंकित था।
- अक्टूबर 1905 में उत्तर कलकत्ता में *वंदे मातरम् संप्रदाय* की स्थापना हुई, जिसने मातृभूमि को एक मिशन और धार्मिक भावनाओं के रूप में प्रचारित किया।
- 1906 में *वंदे मातरम्* नामक अंग्रेजी दैनिक का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक बिपिन चंद्र पाल थे और बाद में अरविंदो इसके संयुक्त संपादक बने।

राष्ट्रीय गीत

- स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने वंदे मातरम् की स्थिति पर विचार किया।
- 24 जनवरी 1950 को इसके पूर्व दो पदों को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया।



बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में

- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आधुनिक भारतीय साहित्य के निर्माताओं में से एक थे।
- एक विशिष्ट उपन्यासकार, कवि और निबंधकार के रूप में उनकी रचनाओं ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास और उभरते भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया।
- अन्य प्रमुख कृतियाँ: *दुर्गेशनंदिनी* (1865), *कपालकुंडला* (1866), और *देवी चौधरानी* (1884)।

स्रोत: IE

लोकसभा में दसवीं अनुसूची में संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तुत

संदर्भ

- लोकसभा में एक निजी सदस्य का विधेयक “संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)” प्रस्तुत किया गया है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे सामान्यतः *दलबदल विरोधी कानून* कहा जाता है, संविधान (बावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी।

- विधेयक में प्रावधान है कि कोई सदस्य अपनी सीट तभी खोएगा जब वह विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन विधेयक या अन्य वित्तीय मामलों पर अपनी पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए मतदान करेगा या मतदान से विरत रहेगा — अन्य किसी प्रकार के मतदान पर नहीं।
- यह सांसदों को विधेयकों और प्रस्तावों पर स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति देता है।

व्हिप क्या है?

- व्हिप का अर्थ है सदन में पार्टी के सदस्यों को पार्टी के निर्देशों का पालन करने का आदेश।
- राजनीतिक दल अपने सांसदों को किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी करते हैं।
 - एक बार व्हिप जारी होने पर सांसदों को उसका पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वे संसद में अपनी सीट खो सकते हैं।
- यह शब्द ब्रिटिश परंपरा “व्हिपिंग इन” से लिया गया है, जिसमें सांसदों को पार्टी लाइन का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था।
- संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे संसदीय परंपरा माना जाता है।
- दल अपने सदन के वरिष्ठ सदस्य को मुख्य व्हिप नियुक्त करते हैं, जिन्हें अतिरिक्त व्हिप सहयोग करते हैं।

व्हिप के प्रकार

- वन-लाइन व्हिप:** केवल सदस्यों को मतदान की सूचना देता है, लेकिन उन्हें मतदान से विरत रहने की अनुमति देता है।
- टू-लाइन व्हिप:** सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कहता है, लेकिन यह नहीं बताता कि कैसे मतदान करना है।
- श्री-लाइन व्हिप:** जो आजकल सामान्य है, इसमें सदस्यों को उपस्थित रहकर पार्टी लाइन के अनुसार मतदान करने का निर्देश दिया जाता है।

व्हिप का महत्व

- व्हिप अनुशासन बनाए रखता है, उपस्थिति सुनिश्चित करता है और पार्टी सदस्यों को आवश्यक जानकारी देता है।
- यह राजनीतिक दल और विधायिका में उसके सदस्यों के बीच संचार का माध्यम है।
- यह सदस्यों की राय जानने और उसे पार्टी नेताओं तक पहुंचाने का कार्य भी करता है।

दलबदल विरोधी कानून

- संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे *दलबदल विरोधी कानून* कहा जाता है, राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए जोड़ी गई थी।
- दलबदल के आधार पर अयोग्यता:
 - यदि कोई विधायक अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, या
 - सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है/मतदान से विरत रहता है।
- स्वतंत्र सदस्य अयोग्य होंगे यदि वे निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं।
- नामित सदस्य अयोग्य होंगे यदि वे नामित होने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं।
- यदि किसी सदस्य ने अपनी पार्टी से पूर्व अनुमति ली है, या मतदान/विरत रहने को पार्टी ने 15 दिनों के अंदर स्वीकार कर लिया है, तो वह अयोग्य नहीं होगा।
- विलय के मामलों में छूट:**
 - यदि मूल राजनीतिक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय कर लेते हैं, तो वे अयोग्य नहीं होंगे।
 - वे उस दल के सदस्य बन सकते हैं जिसमें उन्होंने विलय किया है,
 - या विलय स्वीकार न कर अलग समूह के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- निर्णय लेने का अधिकार:** किसी सदस्य को सदन से अयोग्य ठहराने का निर्णय सदन के अध्यक्ष/स्पीकर के पास होता है।

Source: TH

इंडिगो संकट: अनिवार्य रिसोर्स मैपिंग और DGCA में परिवर्तन

संदर्भ

- हाल ही में इंडिगो में हुए परिचालन संकट ने भारत की नागरिक उड्डयन व्यवस्था की गंभीर संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है, जिससे अनिवार्य संसाधन मानचित्रण और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के व्यापक सुधार की आवश्यकता सामने आई है।

संकट के बारे में

- भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को दिसंबर 2025 की शुरुआत में गंभीर परिचालन संकट का सामना करना पड़ा।
 - एक ही दिन में 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और अगले दिन 800 से अधिक अतिरिक्त उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
 - प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री फंसे रहे, जिससे व्यापक जनक्रोध उत्पन्न हुआ।

मूल कारण

- खराब संसाधन मानचित्रण, अपर्याप्त पूर्वानुमानित रोस्टिंग और DGCA की प्रतिक्रियात्मक निगरानी को गहरे कारणों के रूप में इंगित किया गया, जबकि इंडिगो ने व्यवधानों का कारण 'क्रू अनुपलब्धता' और 'कुप्रबंधन' बताया।
- इंडिगो ने ए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को लागू करने की योजना बनाने में विफल रहा, जबकि उसे पहले से इसकी सूचना थी।

अनिवार्य संसाधन मानचित्रण

- भारत में प्रत्येक एयरलाइन, DGCA विनियमों के अंतर्गत, वार्षिक रूप से जनशक्ति डेटा प्रस्तुत करती है। लेकिन ये दाखिले न तो मानकीकृत होते हैं और न ही सार्वजनिक रूप से ऑडिट किए जाते हैं।
 - भविष्य के संकटों को रोकने के लिए अनिवार्य संसाधन मानचित्रण को केवल अनुपालन औपचारिकता के बजाय एक नियामक आवश्यकता बनाया गया।

इसमें शामिल होगा:

- DGCA की केंद्रीय प्रणालियों में क्रू उपलब्धता, प्रमाणपत्र और थकान डेटा का गतिशील ट्रैकिंग।
- एआई-आधारित पूर्वानुमान एल्गोरिथ्म जो हफ्तों पहले कमी का अनुमान लगाए।
- एयरलाइन रोस्टिंग और शेड्यूलिंग तंत्र का अनिवार्य तृतीय-पक्ष ऑडिट।

- इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नियामकों को संकट से पहले हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलेगी।

DGCA सुधार: प्रतिक्रियात्मक से पूर्वानुमानित नियमन तक

- DGCA वर्तमान में एक प्रतिक्रियात्मक मॉडल पर कार्य करता है, जो संकट के बाद ही कार्रवाई करता है।
 - 2024 की CAG रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि DGCA का स्टाफ-टू-एयरक्राफ्ट अनुपात एशिया में सबसे कम है, जिससे वास्तविक समय सुरक्षा ऑडिट करने की क्षमता सीमित होती है।
 - सुधार की शुरुआत इनसे होनी चाहिए:
 - DGCA में डेटा और पूर्वानुमान विश्लेषण विंग की स्थापना।
 - 'एविएशन सिस्टम्स इंटेलिजेंस' डैशबोर्ड का परिचय, जो एयरलाइनों और नियामकों दोनों के लिए सुलभ हो।
 - अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की तरह एक वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियामक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
 - पायलटों के चिकित्सा, प्रशिक्षण और थकान रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एवं क्रॉस-वेरिफिकेशन।
 - यात्री संख्या और बेड़े के विस्तार में तेजी के बीच संस्थागत सुदृढीकरण के बिना भारत नियामक अप्रचलन के जोखिम में है।

अंतरराष्ट्रीय मॉडलों से सीख

- यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) और अमेरिकी FAA ने पहले ही वास्तविक समय क्रू

मॉनिटरिंग एवं थकान प्रबंधन प्रणालियों को अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया है।

- EASA एयरलाइन विस्तार को स्वीकृति देने से पहले *रिसोर्स एश्योरेंस सर्टिफिकेट* अनिवार्य करता है, जिसे भारत अपना सकता है।
- इसी तरह, सिंगापुर की *सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAAS)* मशीन लर्निंग और सुरक्षा ऑडिट को मिलाकर पूर्वानुमानित निगरानी मॉडल का उपयोग करती है, जो समय रहते विसंगतियों को चिन्हित कर देता है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)

- यह भारत का सर्वोच्च नागरिक उड्डयन नियामक निकाय है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और 2020 में *विमान अधिनियम* में संशोधन के बाद यह एक वैधानिक निकाय बन गया।

संगठनात्मक संरचना

- मुख्यालय: नई दिल्ली में स्थित।
- क्षेत्रीय कार्यालय: प्रमुख शहरों में फैले हुए हैं ताकि स्थानीय विमानन निगरानी का प्रबंधन किया जा सके।

कानूनी ढांचा

- विमान अधिनियम, 1934
- विमान नियम, 1937
- विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2021 और 2025
- विभिन्न नागरिक उड्डयन आवश्यकताएँ (CARs) और एयर सेफ्टी सर्कुलर

DGCA के प्रमुख कार्य

- **सुरक्षा निगरानी:** नागरिक विमानन संचालन में नागरिक वायु नियमों, वायुगतिकीय मानकों और वायु सुरक्षा मानदंडों को लागू करना।
- **लाइसेंसिंग और प्रमाणन:** पायलटों, विमान रखरखाव इंजीनियरों और वायु यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस जारी करना।

आगे की राह

- **नीति एकीकरण:** त्रैमासिक संसाधन मानचित्रण को अनिवार्य करना और अनुपालन को मार्ग विस्तार अनुमोदनों से जोड़ना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** DGCA प्रणालियों से जुड़े डिजिटल थकान और जनशक्ति डैशबोर्ड तैनात करना।
- **जवाबदेही एकीकरण:** मानव संसाधनों की लगातार गलत रिपोर्टिंग या कुप्रबंधन पर वित्तीय दंड लागू करना।

▲ विमान और विमानन प्रशिक्षण संगठनों को प्रमाणित करना।

- **वायु परिवहन सेवाओं का नियमन:** भारत से, भारत तक और भारत के अंदर अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं की निगरानी करना।
- **दुर्घटना जांच:** विमानन दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच का समन्वय और निगरानी करना।
- **अंतरराष्ट्रीय समन्वय:** अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) में भारत का प्रतिनिधित्व करना और वैश्विक विमानन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

हाल के विकास

- **eGCA प्लेटफॉर्म:** हितधारकों के लिए लाइसेंसिंग, अनुमोदन और नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की डिजिटल पहल।
- **eGCA 2.0:** पारदर्शिता बढ़ाने और कागजी कार्य कम करने के लिए डिजिटल परिवर्तन पहल।
- **ड्रोन विनियम:** DGCA भारत में मानव रहित विमान प्रणालियों (UAS) के पंजीकरण और विनियमन की देखरेख करता है।
- **फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL):** हाल ही में अद्यतन मानदंड, जो पायलट थकान को संबोधित करने और सुरक्षा में सुधार करने के लिए बनाए गए, तथा जिन्होंने हाल ही में इंडिगो परिचालन संकट में भूमिका निभाई।

Source: The Print

वर्तमान परिदृश्य में न्यूरोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता

समाचार में

- न्यूरोटेक्नोलॉजी जल्द ही मस्तिष्क की समझ को बेहतर करेगी और संभवतः इसके कार्य को प्रभावित करने की क्षमता भी प्रदान करेगी।


न्यूरोटेक्नोलॉजी क्या है?

- यह उन उपकरणों को संदर्भित करती है जो सीधे मस्तिष्क के साथ संपर्क करते हैं, न्यूरल गतिविधि को रिकॉर्ड या प्रभावित करते हैं, जिससे मस्तिष्क के कार्य का अध्ययन, मरम्मत या संवर्धन करने के नए तरीके सक्षम होते हैं।
- इस क्षेत्र का केंद्र ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCIs) हैं, जो मस्तिष्क संकेतों को डिकोड करके कर्सर, व्हीलचेयर या रोबोटिक हाथ जैसे उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। यह या तो गैर-आक्रामक सेंसर या प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड के माध्यम से किया जाता है।
 - BCIs निदान, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स और लकवा, अवसाद एवं पार्किंसन रोग जैसी स्थितियों के उपचार में सहायक होते हैं।

- जबकि प्रयोगों ने जानवरों में मस्तिष्क-से-मस्तिष्क संचार दिखाया है, मानव उपयोग मुख्यतः चिकित्सीय ही हैं। भविष्य में संवर्धन या सैन्य अनुप्रयोगों से महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

लाभ और आवश्यकता

- भारत को स्ट्रोक, रीढ़ की चोटें, पार्किंसन रोग और अवसाद जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का बढ़ते भार का सामना करना पड़ रहा है।
- न्यूरोटेक्नोलॉजी आशाजनक समाधान प्रदान करती है—न्यूरोप्रोस्थेटिक्स लकवाग्रस्त व्यक्तियों को गति या संचार फिर से प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं, और लक्षित मस्तिष्क उत्तेजना मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए दीर्घकालिक दवाओं पर निर्भरता को कम कर सकती है।
- स्वास्थ्य सेवा से परे, न्यूरोटेक्नोलॉजी भारत की जैव प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं एआई में ताकतों के साथ सामंजस्यशील है, जिससे नवाचार और विकास के व्यापक अवसर सर्जित होते हैं।



प्रगति

- IIT कानपुर ने स्ट्रोक रोगियों के लिए BCI-संचालित रोबोटिक हाथ विकसित किया है, जबकि मानेसर स्थित नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर और IISc के ब्रेन रिसर्च सेंटर में प्रमुख न्यूरोसाइंस अनुसंधान चल रहा है।
- डोग्नोसिस जैसे स्टार्टअप नवाचारपूर्ण उपयोगों की खोज कर रहे हैं—जैसे कुत्तों के मस्तिष्क संकेतों का विश्लेषण करके कैंसर-संबंधी गंधों का पता लगाना—यह दिखाता है कि पशु-केंद्रित न्यूरोटेक भविष्य में मानव कैंसर स्क्रीनिंग को बदल सकता है।

वैश्विक स्थिति

- अमेरिका NIH की BRAIN पहल द्वारा संचालित वैश्विक न्यूरोटेक प्रयासों में अग्रणी है, जो उन्नत न्यूरोटेक नवाचार का समर्थन करता है।
- 2024 में न्यूरालिंक को मानव परीक्षणों के लिए FDA की स्वकृति मिली और इसने दिखाया कि इसके BCIs लकवाग्रस्त रोगियों को कुछ मोटर कार्य फिर से प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं।
- चीन का ब्रेन प्रोजेक्ट (2016–2030) संज्ञानात्मक अनुसंधान, मस्तिष्क-प्रेरित एआई और न्यूरोलॉजिकल उपचारों पर केंद्रित है।
- वहीं, यूरोपीय संघ और चिली BCIs को विनियमित करने और न्यूरोराइट्स की रक्षा करने वाले कानून बनाने में अग्रणी हैं।

भारत के लिए आगे की राह

- न्यूरोटेक्नोलॉजी भारत को स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन और अर्थव्यवस्था में अवसर प्रदान करती है, जो इसके जीनोमिक विविधता, विशेषज्ञता एवं मस्तिष्क अनुसंधान में बढ़ती रुचि का लाभ उठाती है। लेकिन इसका विकास सुदृढ़ नियामक समर्थन पर निर्भर करता है।
- BCI के लाभ और जोखिमों पर सार्वजनिक सहभागिता, साथ ही तकनीकी और नैतिक पहलुओं—जैसे डेटा गोपनीयता एवं उपयोगकर्ता स्वायत्तता—का आकलन करने वाले अनुकूलित विनियम आवश्यक हैं ताकि भारत में सुरक्षित और प्रभावी BCI विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

स्रोत: TH


चिली से भारत के कोयला संकट की सीख

संदर्भ

- भारत नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित COP30 के दौरान जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 13 स्थान गिरकर 23वें स्थान पर आ गया।

परिचय

- मुख्य कारण भारत के कोयले के चरणबद्ध उन्मूलन में प्रगति की कमी है।
- चुनौतियाँ:** कोयला एक कठिन नीति विरोधाभास उत्पन्न करता है—इसका क्रमिक उन्मूलन कई राज्यों




को रोजगार और सस्ती विद्युत से वंचित कर सकता है, जबकि वर्तमान कोयला निर्भरता जारी रखने से वैश्विक तापमान वृद्धि और प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका को खतरा होता है।

- ▲ भारत की गहरी कोयला निर्भरता और कोयला क्षेत्रों में सीमित आर्थिक विकल्प इसके संक्रमण को जटिल बनाते हैं।
- यह संतुलन चिली के अनुभव की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

भारत की ऊर्जा हिस्सेदारी

- 2025 तक देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 GW पार कर 500.89 GW तक पहुँच गई।



- गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत (नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत और परमाणु): 256.09 GW – कुल का 51% से अधिक।
- जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत: 244.80 GW – कुल का लगभग 49%, जिससे कोयला लगभग आधी ऊर्जा आवश्यकताओं का स्रोत बनता है। साथ ही, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 75% कोयले से होता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा में:
 - ▲ सौर ऊर्जा: 127.33 GW
 - ▲ पवन ऊर्जा: 53.12 GW
- FY 2025–26 के दौरान भारत ने 28 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 5.1 GW जीवाश्म-ईंधन क्षमता जोड़ी।

चिली का मॉडल

- तुलना में, चिली में विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 2016–24 के दौरान 43.6% से घटकर 17.5% हो गई।
- आज, नवीकरणीय ऊर्जा (विशेषकर पवन और सौर) देश की ऊर्जा मिश्रण का 60% से अधिक हिस्सा बनाती है।
- सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
 - ▲ कोयला संयंत्रों पर सख्त उत्सर्जन मानक लागू किए गए, जिससे निर्माण और अनुपालन लागत 30% बढ़ गई।
 - ▲ पवन और सौर ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया।
 - ▲ चिली ने ग्रिड को स्थिर करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का आक्रामक निर्माण किया और 2040 तक सभी कोयला समाप्त करने का संकल्प लिया।
- यह दर्शाता है कि कोयला निर्भर अर्थव्यवस्थाएँ भी संक्रमण को तीव्र कर सकती हैं।

मॉडल की पुनरावृत्ति में चुनौतियाँ

- भारत की तुलना में चिली की ऊर्जा में कोयले की हिस्सेदारी कम है, जिससे उसे कम संयंत्र बंद करने और छोटे आश्रित कार्यबल का सामना करना पड़ा।
- संक्रमण एक राजनीतिक वातावरण द्वारा भी सक्षम हुआ जिसने निजीकरण के बाद तीव्र बाजार सुधारों की अनुमति दी।

भारत की हरित प्रतिबद्धताएँ

- UNFCCC को 2022 में प्रस्तुत अद्यतन NDC के हिस्से के रूप में:
 - ▲ भारत ने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 स्तरों की तुलना में 45% कम करने का संकल्प लिया है।
 - ▲ 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से संचयी विद्युत शक्ति क्षमता का 50% प्राप्त करना।
 - ▲ ये लक्ष्य भारत के दीर्घकालिक नेट-जीरो उत्सर्जन 2070 तक प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान करते हैं।
- राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) 2032 तक नवीकरणीय

ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की परिकल्पना करती है, जिसमें सौर ऊर्जा उस वृद्धि का 50% योगदान देगी।

भारत के लिए सुझाव

- TERI ने सुझाव दिया है कि भारत 2050 तक कोयला ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त कर सकता है ताकि अपने नेट-जीरो लक्ष्यों को पूरा कर सके।
 - ▲ इस लक्ष्य की ओर संक्रमण में क्रमिक रूप से कोयले को कम करना, दक्षता में सुधार और संयंत्रों का डीकमीशनिंग शामिल हो सकता है।
- **भारत तीन प्रकार की कार्रवाइयाँ कर सकता है:**
 - ▲ भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की सीमाओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रयास में परिवहन, उद्योग और घरों के विद्युतीकरण की पहल भी सहायक होगी।
 - ▲ बाजारों और विनियमन में सुधार कर कोयले को हतोत्साहित करना चाहिए, जैसे कार्बन मूल्य निर्धारण, कोयला सब्सिडी हटाना, क्लीन डिस्पैच नियम एवं नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देने वाले विद्युत खरीद अनुबंध।
 - ▲ श्रमिकों को पुनः कौशल प्रदान कर और वैकल्पिक आजीविका देकर सुदृढ़ समर्थन देना चाहिए। इसके लिए एक समर्पित संक्रमण कोष आवश्यक है, जैसे कि अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा प्रस्तावित “ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया फंड”।

आगे की राह

- उच्च दांव को देखते हुए, कोयले का चरणबद्ध उन्मूलन शीर्ष राजनीतिक प्राथमिकता बनना चाहिए।
- नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धियाँ अत्यधिक आशाजनक हैं, लेकिन कोयले को बदलने की ठोस योजना के बिना जलवायु महत्वाकांक्षाएँ खोखली रह जाएँगी।
- अब समय आ गया है कि एक कोयला निकास रोड मैप तैयार किया जाए, जिसमें वितरण समयसीमा, सामाजिक सुरक्षा का वित्तपोषण, बाजार सुधार और चिली जैसे देशों से सीखना शामिल हो।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार


किसामा गांव में हॉर्नबिल महोत्सव

संदर्भ

- 26वें संस्करण के हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के आठवें दिन की शुरुआत नागालैंड में जीवंत ‘सांस्कृतिक जुड़ाव’ के साथ हुई।

हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में

- **अवलोकन:** यह प्रतिवर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में कोहिमा के पास किसामा में आयोजित होता है और सभी नागा जनजातियों का जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन है। इसे प्रायः “त्योहारों का त्योहार” कहा जाता है।
 - ▲ इसे 2000 में एकता को बढ़ावा देने और जातीय विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- पारंपरिक प्रस्तुतियाँ:
 - ▲ अकोइना लिन
 - ▲ खा कियाकलाक हिंमो
 - ▲ तैनांग जोंग पाईही आइ
 - ▲ अकिकिति
 - ▲ संग लोलोंग पे
 - ▲ गांदो मक्कल पाला
 - ▲ थोली केवा, आदि।
- भाग लेने वाले समुदाय: संगताम, रेंगमा, त्सेमिन्यु, पोचुरी, फोम, लोथा, कुकी, आंगामी, कछारी, गारो, चांग, चाखेसांग, आओ और कोन्याक।



Source: TH

सेरेन्डिपिटी कला महोत्सव

समाचार में

- पणजी, गोवा का ओल्ड जीएमसी कॉम्प्लेक्स, जो 1800 के दशक का एक विरासत भवन है और कभी एशिया के सबसे पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक था, अब सेरेन्डिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल (SAF) के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल के रूप में कार्य करता है।

सेरेन्डिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल (SAF)

- सेरेन्डिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल एक बहु-विषयक महोत्सव है जो भारत और उससे परे की प्रदर्शनकारी, दृश्य और पाक कलाओं को एक साथ लाता है, तथा उन्हें पहले कभी न देखे गए तरीकों से प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में कला उत्पादन, जागरूकता और अभ्यास को ऊर्जा प्रदान करना है।
- यह स्थानीय संस्कृति को भी उजागर करता है, जैसे गोवा के घुमट का उत्सव मनाने वाला तालवाद्य संगीत, सराय-प्रेरित भोजन अनुभव, और विविध समुदायों की गोवा की पाक परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले स्वाद परीक्षण।
- सेरेन्डिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल (SAF) कला रूपों के बीच संवाद पर बल देता है, जो स्थानीय इतिहास, समकालीन आवाजों और वैश्विक दृष्टिकोणों को जोड़ता है।

Source :IE

संसद द्वारा तंबाकू शुल्क बढ़ाने हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित

संदर्भ

- संसद ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया है, जिसे राज्यसभा ने अनुमोदित कर लोकसभा को वापस भेज दिया।

परिचय

- यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करने का प्रयास करता है।

- यह अधिनियम भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है।
- 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के साथ कई वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया था, सिवाय कुछ वस्तुओं जैसे तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के।
- तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर अब भी तीन-स्तरीय कर संरचना लागू है, जिसमें GST, GST क्षतिपूर्ति उपकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल हैं।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- विधेयक असंसाधित तंबाकू, संसाधित तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और तंबाकू विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाता है।
 - असंसाधित तंबाकू (जैसे धूप में सुखाए गए तंबाकू पत्ते): 64% से बढ़ाकर 70%।
 - चबाने वाला तंबाकू: 25% से बढ़ाकर 100%।
 - हुक्का या गुड़ाकू तंबाकू: 25% से बढ़ाकर 40%।
 - पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण: 60% से बढ़ाकर 325%।
- सिगरेट: वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत शुल्क ₹200 से ₹735 प्रति 1,000 सिगरेट है।
 - विधेयक इसे बढ़ाकर ₹2,700 से ₹11,000 प्रति 1,000 सिगरेट करने का प्रस्ताव करता है।

Source: AIR

थाईलैंड-कंबोडिया संघर्ष

समाचार में

- हाल ही में थाईलैंड ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए।

पृष्ठभूमि

- यह संघर्ष औपनिवेशिक काल की सीमा निर्धारण (1907 में फ्रांस द्वारा की गई) से जुड़ा एक लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय विवाद है।



- विवाद के केंद्र में प्रेह विहार मंदिर है, जो 11वीं-12वीं शताब्दी का सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण खमेर मंदिर है और जिस पर दोनों देशों का दावा है।
- यद्यपि अंतराष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 और फिर 2013 में कंबोडिया की संप्रभुता की पुष्टि की थी, थाईलैंड ने इन निर्णयों को अस्वीकार कर दिया और यह क्षेत्र अब भी भारी सैन्यीकृत बना हुआ है।

Source: IE

IMF ने UPI को विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम माना।

समाचार में

- अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की रिपोर्ट 'ग्लोबल रिटेल डिजिटल पेमेंट्स (द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी)' दिनांक जून 2025 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेनदेन मात्रा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा खुदरा त्वरित-भुगतान प्रणाली (FPS) के रूप में मान्यता दी गई।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

- यह एक प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को कई बैंक और अन्य अनुमत खातों (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) को एक UPI ऐप में जोड़ने की सुविधा देती है।

- यह कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध धन मार्गदर्शन और व्यापारी भुगतान को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है।
- UPI का पायलट लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में RBI के गवर्नर डॉ. रघुराम जी राजन द्वारा किया गया था।

प्रगति और कदम

- UPI वैश्विक वास्तविक समय भुगतान लेनदेन का लगभग 49% हिस्सा रखता है, जो अन्य अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक है।
- रूपे और UPI के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को सार्वजनिक सेवाओं, परिवहन और ई-कॉमर्स सहित कई क्षेत्रों में पूरे देश में विस्तारित किया जा रहा है।
 - ▲ जिन देशों में परिचालन या नियोजित इंटरऑपरेबिलिटी है, उनमें शामिल हैं: सिंगापुर (PayNow), यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, मॉरीशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य।

Source : PIB

एक्स पर EU का जुर्माना

संदर्भ

- एलन मस्क के स्वामित्व वाले X पर यूरोपीय संघ ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के अंतर्गत पारदर्शिता नियमों का उल्लंघन करने के लिए 120 मिलियन यूरो (\$140 मिलियन) का जुर्माना लगाया। यह प्रथम बार है जब यूरोपीय संघ ने इस कानून के अंतर्गत अपनी सबसे कठोर प्रवर्तन शक्ति का उपयोग किया है।

DSA के बारे में

- डिजिटल सर्विसेज एक्ट यूरोपीय संघ का एक व्यापक नियामक ढांचा है, जो मूल रूप से यह बदलता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल मध्यस्थ कैसे कार्य करते हैं।
- यह 2022 में लागू हुआ और 2024 में पूरी तरह लागू और प्रवर्तनीय हो गया।
- DSA का उद्देश्य यूरोपीय संघ में एक सुरक्षित, न्यायसंगत और अधिक पारदर्शी ऑनलाइन वातावरण बनाना है।

- सबसे कठोर दायित्व बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (VLOPs) और बहुत बड़े ऑनलाइन सर्च इंजन (VLOSEs) पर लागू होते हैं।
- इन्हें उन सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके यूरोपीय संघ में 4.5 करोड़ से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।
- यूरोपीय आयोग ने 2025 तक ऐसी 19 सेवाओं को नामित किया है, जिनमें अमेज़न स्टोर, एप्पल ऐपस्टोर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, गूगल सर्च, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, विकिपीडिया और अन्य शामिल हैं।

दंड

- उल्लंघनों के लिए अधिकतम वित्तीय दंड प्लेटफॉर्म के विगत वर्ष के वैश्विक वार्षिक कारोबार का 6% है।
 - ▲ गंभीर और बार-बार होने वाले उल्लंघनों के लिए, नियामक यूरोपीय संघ के अंदर प्लेटफॉर्म की पहुँच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं या संचालन को पूरी तरह निलंबित कर सकते हैं।

Source: IE

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायन्स (IBCA)

समाचार में

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायन्स (IBCA) के अंतर्गत बिग कैट संरक्षण के सहयोगी पहल की एक उच्च-स्तरीय बैठक को संबोधित किया।

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायन्स (IBCA) के बारे में

- इसे भारत ने 2023 में सात बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण हेतु वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने के लिए शुरू किया था।
- इनमें शामिल हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा।
- IBCA के अंतर्गत सात बिग कैट में से पाँच भारत में पाई जाती हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ एवं चीता (जिसे 2022 से नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से पुनः परिचित कराया गया)।
- यह गठबंधन उन 97 'रेन्ज देशों' के लिए खुला है जहाँ ये बिग कैट पाई जाती हैं।
- इसका उद्देश्य बिग कैट और उनके पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक ज्ञान, संसाधन और सर्वोत्तम प्रथाओं को एकत्रित करना है।
- भारत ने प्रारंभिक वित्तपोषण हेतु 5 वर्षों में लगभग ₹2,000 करोड़ की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

Source: AIR

■■■■